न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र **20/2015**
अनवान :–

श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी– कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1 कालूराम पुत्र मानाराम प्रजापत निवासी बंगलानगर वार्ड नं. 1, 2 बीकानेर(मालिक) मैसर्स मानजी मिठाई वाले जस्सुसर गेट के अन्दर बीकानेर, बीकानेर

2 श्री जोराराम उर्फ जोरावर पुत्र श्री कालुराम प्रजापत निवासी बंगलानगर वार्ड नं. 1, 2 बीकानेर (विक्रेता) मैसर्स मानजी मिठाई वाले जस्सुसर गेट के अन्दर बीकानेर

अप्रार्थीगण

::प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011::

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2. अप्रार्थीगण 1 व 2 – अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : 30.09.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री गोपालकृष्ण शर्मा खादय सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.10.2014 को अप्रार्थीपक्ष श्री कालूराम पुत्र श्री मानाराम प्रजापत (मालिक) एवं जोराराम पुत्र कालूराम (विक्रेता) मैसर्स मानजी मिठाई वाले जस्सुसर गेट के अन्दर बीकानेर के यहां फर्म पर एक स्टील की थाली में लगभग 8 किग्रा पेठा मिठाई वास्ते आम जनता को क्रिी हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर प्रार्थी द्वारा विक्रेता की सहमति से उक्त पेठा मिठाई वास्ते नमूना जांच हेतु उक्त स्टील की थाली में रखे हुए पेठा मिठाई में से हिला–मिला कर एकरूप कर 2 किग्रा पेठा मिठाई वास्ते जांच नमूना हेतु 200/–रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी खा.सु.अ., विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त 2 किग्रा. पेठा मिठाई को चार साफ–सूखे एवं खाली प्लास्टिक जार में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक प्लास्टिक जार में 40–40 बूंद फॉर्मिलिन की डालकर ढक्कन से एयर टाईट कर प्रत्येक प्लास्टिक जार पर लेबल फॉर्म तैयार कर नमूना संख्या जे– 761 पूर्व विवरण दर्जकर उस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक प्लास्टिक जार को नियमानुसार सील चपड़ी से सील्ड पैक्ड कर एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किया। उक्त सीलबन्द पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राजस्थान जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 01.12.2014 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें पेठा मिठाई सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड पेठा मिठाई विक्रय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खादय पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री कन्हैयालाल साध अधिवकता ने वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु समुचित अवसर दिया गया लेकिन जवाब प्रस्तुत होने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली बहस हेतु रखी गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन उपस्थित नहीं आये और ना ही अप्रार्थीगण उपस्थित आये । तद्न्तर अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ईकतरफा करते हुवे विभागीय प्रतिनिधि की इकतरफा बहस सुनी गई।

3. विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से पेठा मिठाई का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The perecentage of Reducing Sugar To Total Sugar Not Less than 25.0 की तुलना में 5.35 का पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पेठा मिठाई सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह भी निवेदन किया है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. हमने विभागीय प्रतिनिधि के ईकतरफा कथन पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिर्पोट क्रमांक एलएस/1991/एक्ट/ 2014/1100 दिनांक 01.12.2014 संलग्न है। इस रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया पेठा मिठाई The perecentage of Reducing Sugar To Total Sugar Not Less than 25.0 की तुलना में 5.35 का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम होने के कारण सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड का पेठा मिठाई विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थीगणों के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत 50,000/– (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है।

5. इस प्रकार आरोपित शास्ति राशि में से अप्रार्थी संख्या 1 की शास्ति राशि रूपये 30,000/– (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) एवं अप्रार्थी संख्या 2 की शास्ति राशि रूपये 20,000/– (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) अदा करेंगे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रर्मियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक **30.09.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्टर्ड डाक पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.स्व.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2019.11.22 12:16:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: